न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू (जयपुर)
पीठासीन अधिकारी— श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर आर.ए.एस.
राजस्व वाद—पत्र संख्या : 45/2016
वाद दायरी दिनांक : 21/3/2016
निर्णय दिनांक : 07/01/2019

बाल सिंह पुत्र श्री देवी सिंह, जाति राजपूत, निवासी मानपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

—— वादी

बनाम

1. छीतर सिंह
2. चैन सिंह
3. रघुवीर सिंह

पुत्रान उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासीगण मानुपरा तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर।

4. उच्छब कंवर पत्नी रणवीर सिंह जाति राजपूत, निवासी मानपुरा तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
5. हीना कंवर
6. मूमल कंवर

पुत्रीयां रणवीर सिंह, नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता उच्छब कंवर पत्नी रणवीर सिंह जाति राजपूत, निवासी मानपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

7. संदा कंवर पुत्री उम्मेद सिंह पत्नी बलवीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम झाडग्रासा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर, राज0।
8. सरोज कंवर पुत्री उम्मेद सिंह पत्नी हनुमान सिंह, जाति राजपूत, निवासी सारदडा तहसील पाली, जिला पाली, राज0।
9. मंजू कंवर पत्नी देवेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी विजयनगर, जिला अजमेर, राज0।
10. कल्याण सिंह पुत्र देवी सिंह,
11. गिरिराज सिंह पुत्र रामसिंह
12. रामकंवर पत्नी रामसिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासीगण ग्राम मानपुरा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर, राज0।

13. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
14. सबरजिस्ट्रार, मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

—— प्रतिवादीगण

वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955)

उपस्थिति — श्री नानूराम धाभाई
विद्वान अधिवक्ता वादी
प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के विरूद्ध
कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।
प्रतिवादी संख्या 13 व 14 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 07/1/2019

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

# –: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपर्युक्त उनवानी प्रकरण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.2018 को इस आशय का प्राथमिक डिक्री किया गया कि ''अतः वादी का वाद प्राथमिक डिकी किया जाकर विवादित आराजीयात खाता संख्या 05 के आराजी खसरा नम्बर 417, 418, 419, 420, 422, 519, 712, 739, 742, 787, 793, 811, 813 कुल किता 13 कुल रकबा 9.7000 हैक्टेयर वाके ग्राम मानपुरा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स (अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी) के सिद्धान्त के अनुसार या यदि सहमति हो तो मौके पर काबिज अनुसार तकासमा किया जाकर खाता अलहदा–अलहदा किया गया एवं तहसीलदार मौजमाबाद को नक्शे कुरेजात दो प्रतियों में तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया था।''

दिनांक 21/08/2018 वादी की ओर से एडवोकेट श्री भंवरलाल जैन, विनोद कुमार जैन व श्री नानूराम जेन ने वकालतनामा पेश किया गया, जिस पर श्री कुशराज सिंह राजावत एडवोकेट ने नो ओब्जेक्शन किया गया। वकालतनामा शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार मौजमाबाद के पत्र क्रमांक/भू.अ./18/3439 दिनांक 11/07/2018 के द्वारा नक्शे कुरेजात प्राप्त होने के पश्चात शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र आपत्ति नक्शे कुरेजात पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। नक्शे कुरेजात का अवलोकन किया गया। नक्शे कुरेजात मुताबिक आदेश तैयार नही हुये हैं। आपत्ति नक्शे कुरेजात पर वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर आपत्ति स्वीकार की गयी एवं तहसीलदार मौजमाबाद को पुनः नक्शे कुरेजात वादी के काबिज अनुसार तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया।

दिनांक 05/12/2018 को तहसीलदार मौजमाबाद के पत्र क्रमांक/भू.अ./18/5988 दिनांक 05/12/2018 के द्वारा नक्शे कुरेजात प्राप्त होने के पश्चात शामिल पत्रावली किये गये।

विद्वान अधिवक्ता वादी की नक्शे कुरेजात पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता वादी ने उपस्थित होकर नक्शे कुरेजात का अवलोकन कर सही होना जाहिर किया, वकील वादी ने निवेदन किया कि मुताबिक नक्शे कुरेजात प्रकरण डिक्री कर दिया जावें, जिसमें वकील वादी को कोई आपत्ति नही हैं।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मौजमाबाद से प्राप्त नक्शे कुरेजात का गहनता

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू

Scanned by CamScanner

से अवलोकन किया। नक्शे कुरेजात मुताबिक आदेश के अनुसार तैयार होकर प्राप्त हुये हैं अधिवक्ता वादी ने भी मुताबिक तहसीलदार मौजमाबाद के नक्शे कुरेजात अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है, इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से मुताबिक नक्शे कुरेजात अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद मुताबिक नक्शे कुरेजात अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम मानपुरा, तहसील मौजमाबाद का पक्षकारान के मध्य मुताबिक नक्शे कुरेजात बंटवारा किया जाकर खाता अलहदा–अलहदा निम्न प्रकार किया जाता है :–

| क्र.स. | नाम खातेदार | खसरा नम्बर | रकबा है.में |
|---|---|---|---|
| 1. | बाल सिंह पुत्र देवी सिंह, जाति राजपूत सा0 देह खातेदार | 418 | 0.45 |
| | | 420 | 0.27 |
| | | 739 | 0.4050 |
| | | 742 | 1.01 |
| | | 813 | 0.29 |
| | | कुल किता 5 | कुल रकबा 2.4250 हैक्टेयर |
| 2. | उम्मेद सिंह, कल्याण सिंह, देवी सिंह हि. 2/3, गिरिराज सिंह, मन्जू कंवर पि. राम सिंह, रामकंवर पत्नी स्व0 रामसिंह हि.1/3 ब.हि. ब. कौम राजपूत सा0 देह | 417 | 0.10 |
| | | 418 | 0.16 |
| | | 419 | 0.62 |
| | | 420 | 0.27 |
| | | 422 | 0.33 |
| | | 519 | 0.86 |
| | | 712 | 1.27 |
| | | 739 | 0.7550 |
| | | 787 | 0.57 |
| | | 793 | 1.47 |
| | | 811 | 0.51 |
| | | 813 | 0.36 |
| | | कुल किता 12 | कुल रकबा 7.2750 हैक्टेयर |

पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 7/1/19...... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31[illegible]

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

अंतिम डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) [illegible]

व इजलास श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर, आर.ए.एस.

[illegible] पुत्र श्री [illegible] बनाम 1. [illegible] पुत्र [illegible] जाति राजपूत [illegible] जाति राजपूत नि. [illegible] दावा बाबत तकासीम व [illegible] नि. [illegible]; व [illegible]

मुकदमा नं. 45/2014 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री [illegible]

व हाजिरी ............ मिनजानिब मुद्दई रूबरू

............ मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादी का वाद मुताबिक नक्शा [illegible] अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम [illegible], तहसील [illegible] का [illegible] व हक मुताबिक नक्शा [illegible] किया जाकर [illegible] अलहदा-अलहदा किया [illegible] किया जाता है :- [illegible]

निज ............ मुबलिग ............ बाबत

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ............ फीसदी [illegible] आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक ............ का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07 माह 01 सन 2019 को

जारी की गई।

दस्तखत ............

ओहदा ............

मुहर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

| मुद्दई | रुपये | पैसे | मुद्दायलह | रुपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालत नामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीज़ान | | | मीज़ान | | |

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

| क्र.सं. | नाम खातेदार | खसरा नम्बर | रकबा हैक्टेयर |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | मालसिंह पुत्र देवी सिंह, जाति राजपूत कायमदेह खातेदार | 418<br>420<br>739<br>742<br>813 | 0.45<br>0.27<br>0.4050<br>1.01<br>0.29 |
| | | कुल किता 5 | कुल रकबा 2.4250 है. |
| 2. | उमेद सिंह, कल्याण सिंह, देवी सिंह हि. 2/3, गिरिराज सिंह, मनकुंवर पि. राम सिंह, रामकंवर पत्नी स्व. रामसिंह हि. 1/3 ब. हि. जाति राजपूत कायमदेह | 417<br>418<br>419<br>420<br>422<br>519<br>712<br>739<br>787<br>793<br>811<br>813 | 0.10<br>0.16<br>0.62<br>0.27<br>0.33<br>0.86<br>1.27<br>0.7550<br>0.57<br>1.47<br>0.51<br>0.36 |
| | | कुल किता 12 | कुल रकबा 7.2750 हैक्टेयर |

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बूंदी